

- आदेश -

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नातिरिक्त इन्द्राज दुरस्ती किये जाने को आपरा दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खालेदार का नाम	खसरा संख्या	संख्या (हैक्टर)	खालेदार का नाम	खसरा संख्या	संख्या
पायली	107	राजूराज प.स.	331	0.02	राजूराज प.स.	331	0.02
		श्री. मोहनसिंह	664	0.04	श्री. मोहनसिंह	664	0.04
		श्री. काशीदास	374	1.62	श्री. काशीदास	374	1.62
		श्री. इंदर प्रसाद	375/66	1.74	श्री. इंदर प्रसाद	375	1.74
		श्री. जगदीश			श्री. जगदीश	665	

883
12.11.21

क्रमांक :-

प्रतिलिपि प्रालनाथ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)
PARS-2021
दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि प्रालनाथ :-

शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)
दिनांक :-

उप तहसीलदार को भ्रमकर लेख है कि अन्तः न्यायालय का स्थगन नहीं है ता निगयानुसार भालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर